




राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखण्ड  
State Level Environment Impact Assessment Authority, Jharkhand  
पौधशाला परिसर, धुर्वा बस स्टैण्ड के समीप, पो० + थाना - धुर्वा, राँची, (झारखण्ड), पिन नं०- 834004  
ई-मेल: [msseiaa.jhk@gmail.com](mailto:msseiaa.jhk@gmail.com); वेबसाइट: [www.jseiaa.org](http://www.jseiaa.org)

सत्यमेव जयते

## सर्वसाधारण हेतु सूचना

एतद् द्वारा सभी परियोजना प्रस्तावक/RQP/Consultant को सूचित किया जाता है कि परियोजना या क्रियाकलाप या विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण या क्रिया कलाप जिनके द्वारा पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है। भारत के किसी भाग में यथा स्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार या राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किए बिना जिसमें प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ क्षमता में वर्धन या दोनों को शामिल किया गया है, को पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन का मामला माना जाएगा। ऐसी परियोजनाएँ या क्रियाकलाप जो दिनांक- 14.03.2017 की तारीख को उल्लंघन कारी है, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- का० आ०- 804 (अ) दिनांक- 14.03.2017 के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे और परियोजना प्रस्तावक को उक्त अधिसूचना के अधीन अधिसूचना की तारीख से छः माह के भीतर ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन कर पायेंगे।

  
सदस्य सचिव,

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,  
झारखण्ड, राँची।

  
30.05.17

  
31.05